



उत्तराखण्ड सरकार

आँउटकम बजट 2024—25

बिन्दु संख्या-2 विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2024-25) प्रत्येक योजना के सम्बंध में सूचना

विभाग का नाम— ग्राम्य विकास विभाग

(धनराशि लाख रु० में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2023 की वास्तविक (भौतिक स्थिति)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड)	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि		
			राजस्व	पूँजीगत							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	केन्द्र पोषित योजना	
1	आजीविका (डे-एन.आर. एल.एम.)	समस्त ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहेया कराना है, उस समय तक उनका पोषण एवं संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से उपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगे	20000.00	--	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 66358 ग्राम संगठन की स्थापना- 6744 कलस्टर लेबिल फैडरेशन- 417 आंतरिक सी0आर0पी० प्रशिक्षित- 2000 स्वयं सहायता समूहों को रिवालिंग फण्ड- 48937 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना- 30685 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज- 62308 उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 17 सरस सेन्टर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, .02 राज्य स्तरीय आउटलेट लखपति दीदी –40270 	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 68000 ग्राम संगठन की स्थापना- 6923 कलस्टर लेबिल फैडरेशन- 470 आंतरिक सी0आर0पी० प्रशिक्षित- 2243 स्वयं सहायता समूहों को रिवालिंग फण्ड- 49094 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना- 32868 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज- 70000 उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 17 सरस सेन्टर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, .02 राज्य स्तरीय आउटलेट लखपति दीदी – 90000 	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 1500 ग्राम संगठन की स्थापना- 500 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 60 आंतरिक सी0आर0पी० प्रशिक्षित- 240 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खालना- 1500 स्वयं सहायता समूहों को रिवालिंग फण्ड- 12000 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना- 8500 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज- 25000 उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 06 ग्रोथ सेन्टर, 5 सरस सेन्टर, 10 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 01 राज्य स्तरीय आउटलेट लखपति दीदी –35000 	42000 स्वयं सहायता समूहों के 2.5 लाख सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।	मार्च, 2025		
1.1	आजीविका (डे-एन.आर. एल.एम.)— स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता	योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करके गांवों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने	250.00	--	<ul style="list-style-type: none"> प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्व पूर्ण। सी.आर.पी.ई.पी. चयन बी.आर.सी. कार्यालय 	<ul style="list-style-type: none"> 2344 उद्यमों की स्थापना पूर्ण माह मार्च, 2024 तक 2750 उद्यम स्थापित किये जायेंगे। 5000 महिला किसानों 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 05 द्वितीय व चरण के विकासखण्डों में। बेसलाईन सर्व द्वितीय चरण के विकासखण्डों में। 	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 3500 5000 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका	मार्च, 2025		

	कार्यक्रम (SVEP) आजीविका (डे-एन.आर. एल.एम.)— महिला किसान सशांतिकरण परियोजना (MKSP)	के सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करना। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में व्यवस्थित निवेश करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना है ताकि उनकी भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और साथ ही ग्रामीण महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका सृजित किया जा सके और उसे जारी रखा जा सके।	429.00		<ul style="list-style-type: none"> स्थापना ● 2171 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है। ● द्वितीय चरण के 02 विकासखण्डों में कार्य किया जायेगा व तृतीय चरण में 03 नये ब्लांक का चयन किया जायेगा। <p>प्रथम चरण के 04 विकासखण्डों में आर्गेनिक फार्मिंग का कार्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> का चयन कर कार्य प्रारम्भ ● 412 कृषि एवं पशु सखी का चयन 	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रथम चरण में 5000 महिला किसानों का प्रशिक्षण किया जायेगा ● 04 आर्गेनिक कलस्टर तैयार किये जाने का लक्ष्य है। 	आजीविका संबद्धन किया जायेगा।	
1.2	स्वयं सहायता समूह महिला एवं परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।	स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।	200.00	--	--	--	--	--	मार्च, 2025
1.3	आजीविका (डे-एन.आर. एल.एम.)— स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करके गांवों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करना।	250.00	--	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाइन सर्वे पूर्ण। ● सी.आर.पी.ई.पी. चयन ● बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना ● 2171 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है। ● द्वितीय चरण के 02 विकासखण्डों में कार्य किया जायेगा व तृतीय चरण में 03 नये ब्लांक का चयन किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2344 उद्यमों की स्थापना पूर्ण माह मार्च, 2024 तक 2750 उद्यम स्थापित किये जायेंगे। ● बेसलाइन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में। 	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 05 द्वितीय व चरण के विकासखण्डों में। ● बेसलाइन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में। 	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 3500	मार्च, 2025
2	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक—युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना।	3377.08	—	वित्तीय वर्ष 2023 तक 25000 युवक—युवतियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 20727 युवक—युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 01.04.2023 तक 15868 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराते हुए 7523 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है।	23000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा तथा 13800 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।	योजनान्तर्गत 25000 युवक—युवतियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर रोजगार से जोड़ा जायेगा।	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक—युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत रूप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन किया जायेगा।	मार्च, 2025

3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार गारंटी। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना। सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना। पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।	38696.32	—	206.73 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 5.02 लाख परिवारों के 6.82 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 20968 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया। मिशन अमृत सरोवर के अन्तर्गत 2022–23 तक 1245 के सापेक्ष 1110 तथा नवम्बर 2023 तक 1380 के सापेक्ष 1281 अमृत सरोवर निर्मित किये गये।	मार्च, 2024 तक 180.00 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेगे।	200.00 लाख मानव दिवसों का सृजन करते हुये कुल धनराशि ₹ 766.67 करोड़ व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 6.00 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 1.50 लाख कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन –लगभग 30000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।	मार्च, 2025
4	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण	पीएमएवाई–जी अन्तर्गत पात्र पाये गये सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना।	42139.33	—	18436 आवास निर्माणाधीन हैं	आवास प्लस सूची से प्राप्त वर्ष 2023–24 हेतु प्राप्त लक्ष्यों एवं गत निर्माणाधीन आवासों सहित कुल 41163 आवास पूर्ण किये जायेंगे।	आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार से 6728 आवासों का लक्ष्य प्राप्त होने पर 6728 आवास स्वीकृत करते हुये 6728 आवास पूर्ण किये जायेंगे।	पीएमएवाई–जी अन्तर्गत पात्र पाये गये सभी ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।	आवास स्वीकृति की तिथि से 01 वर्ष के अन्तर्गत आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों (कोर नेटवर्क) को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है	--	100000.00	उक्त योजना के अन्तर्गत 905 किमी0 मार्गों का निर्माण किया गया गया तथा 28 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है। मार्च, 2024 तक 1180 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण कर 25 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जायेगी।	75 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया गया है तथा 01 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है। मार्च, 2024 तक 1180 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण कर 25 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जायेगी।	1180 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की समस्त बसावटों को बारहमासी मार्गों से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	मार्च, 2025
6	राष्ट्रीय बायोगैस	ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना किया जाना।	0.02	--	योजनान्तर्गत 100 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये।	योजनान्तर्गत 400 बायोगैस संयंत्र स्थापित	350 परिवारों की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति की	350 परिवारों की ईंधन की आवश्यकता की	मार्च, 2025

	कार्यक्रम				किये जायेगे।	जायेगी	पूर्ति करते हुये महिलाओं के स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जायेगा।		
7	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	विभिन्न विकास खण्डों के जे.ई. मनरेगा, बी.एफ.टी. एवं रोजगार सेवक तथा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, युवा/महिला मंगल दल, ग्राम संगठन के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश	20.00	--	वित्तीय वर्ष 2022–23 में 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष प्राप्त धनराशि से आयोजित किये गये जिसमें 1327 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।	भारत सरकार की गाईडलाईन के मार्च, 2023 तक 50 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1250 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।	लगभग 60 प्रशिक्षण देकर 1500 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन, पेयजल एवं स्वच्छता, बहुस्तरीय नियोजन, शासकीय व अर्द्धशासकीय कर्मचारियों का रिफ़ेशर सम्बंधी प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दल के सदस्यों हेतु आय सर्जन गतिविधियों हेतु बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।	मार्च, 2025

राज्य पोषित योजना

1	विधायक निधि	प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	--	35500.00	11795 कार्य पूर्ण किये गये।	लगभग 12500 कार्य पूर्ण किये किये जायेगे।	क्षेत्रीय असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुये मा० विधायकों द्वारा संस्तुत विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य किये जायेंगे।	मा० विधायकों द्वारा संस्तुत योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति के पश्चात स्थानी स्तर पर विभिन्न विकास सम्बंधी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा।	मार्च, 2025
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एन.पी.वी.)	योजनान्तर्गत मार्गों के समरेखण में आनेवाली एन०पी०वी एवं निजी भूमि, भवन फसल क्षतिपूर्ति एवं शासकीय क्षतिपूर्ति मुआवजा। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थान पर वृक्षारोपण करने हेतु	--	5000.01	820 मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन०पी०वी का भुगतान किया गया है। 820 निर्मित / निर्माणाधीन मार्गों पर निजी भूमि/निजी सम्पत्तियों का प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।	01 मार्ग के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन०पी०वी का भुगतान किया गया है। 820 निर्मित / निर्माणाधीन मार्गों पर निजी भूमि/निजी सम्पत्तियों का प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।	03 मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन०पी०वी का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 823 निर्मित / निर्माणाधीन मार्गों पर निजी भूमि/निजी सम्पत्तियों का प्रतिकर का भुगतान भी किया जाना प्रस्तावित है।	--	मार्च, 2025
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (आधिक्य भुगतान)	निविदाएं/विचलन आदि मदों हेतु	--	0.02	410 मार्गों का निर्माण पूर्ण किया गया है।	65 कार्य पूर्ण किये गये हैं। मार्च, 2024 तक कुल 359 कार्य पूर्ण किये जायेंगे।	424 मार्गों का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	--	मार्च, 2025

4	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण का भुगतान	योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु	--	4133.00	लगभग 6501 किमी0 लम्बे मार्गों का अनुरक्षण किया गया है।	लगभग 6800 किमी0 लम्बे मार्गों का अनुरक्षण किया जायेगा।	लगभग 6800 किमी0 लम्बे पूर्ण मार्गों का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	योजना अन्तर्गत निर्मित मार्गों को अनुरक्षण किया जाना है जिससे निर्मित मार्गों पर यातायात को सुचारू रखा जा सकेगा।	मार्च, 2025
5	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत सैन्टेज चार्ज तथा पी.एम.सी. का भुगतान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड एवं वैपकास के 04 खण्ड की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टेज चार्ज के भुगतान हेतु।	--	2000.00	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड, वैपकास के 04 खण्डों एवं गिज एवं रुफ 02 खण्डों की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टेज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष-2023-24 में ₹ 0.28.00 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन०पी०सी०सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्ड, वैपकास के 04 खण्डों एवं गिज एवं रुफ 02 खण्डों की सेवाएं ली गई हैं। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टेज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष-2024-25 में ₹ 0.30.00. करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु।	मार्च, 2025	
6	यू.आर.आर.डी.ए. के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाएं	जनपद पिथौरागढ़ में नाबार्ड पोषित कार्यों हेतु	--	0.01	जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में 92.00 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण पूर्ण किया गया है।	155.175 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	समस्त कार्य माह दिसम्बर-23 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।	जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में अस्योजित बसावटों को बारहमासी मार्गों से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	मार्च, 2025
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपातकालीन निधि	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गों में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गों के अवरुद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारू संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते हैं। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत/Restoration के कार्य भी कराने हेतु है।	--	1000.00	120 क्षतिग्रस्त मार्गों की पुर्नस्थापना की गई है।	145 क्षतिग्रस्त मार्गों की पुर्नस्थापना मार्च, 2024 तक की जायेगी।	25 क्षतिग्रस्त मार्गों की पुर्नस्थापना की जानी प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गों में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गों के अवरुद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारू संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते हैं। जिससे मार्गों पर यातायात को सुचारू रखा जा सके।	मार्च, 2025
8	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर विकास विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं परियोजना से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशिक्षण	0.01	--	माह मार्च, 2023 तक 302 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये कुल 13100	माह मार्च, 2024 तक 419 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये कुल 12180 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित	-	-	-

		प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार एवं स्वरोजगार परक कार्यक्रमों, जलागम, आई.सी.डी.एस. सम्बन्धी कार्यक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।			प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।	किये जाने लक्ष्य है।			
9	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु।	--	500.00	इस वित्तीय वर्ष में रु0 92.80 लाख की धनराशि प्र0प्र0के0 शंकरपुर के महिला हास्टल निर्माण हेतु, रु0 7.20 ला0 प्र0प्र0के0 पौड़ी की गत वर्ष की देयता सहित रु0 100.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है तथा प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत धनराशि रु0 494.47 लाख के सापेक्ष प्र0प्र0के0 पौड़ी के आ0 भवनों के निर्माण हेतु आगणित धनराशि रु0 254.82 ला0 के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु रु0 122.31 ला0, प्र0प्र0केन्द्र शंकरपुर में पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब निर्माण हेतु आगणित धनराशि रु0 38.33 ला0 के सापेक्ष रु0 19.16 लाख तथा आ0/अना0 भवन निर्माण हेतु रु0 172.05 ला0 के सापेक्ष रु0 82.58 लाख तथा गत स्वीकृत की देयता रु0 15.63 लाख तथा प्र0प्र0के0 रुद्रपुर में छात्रावास एवं प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु रु0 530.80 ला0 के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 254.79 लाख प्रस्तावित की गयी है।	--	इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत आगणित धनराशि रु0 996.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2024–25 हेतु देयता रु0 517.16 लाख तथा प्र0प्र0के0 थरकोट के कार्यालय भवन निर्माण हेतु रु0 284.00 लाख के आगणन प्राप्त है। अन्य प्र0प्र0के0 के आवासीय/अना0 भवनों के निर्माण हेतु अगले वित्तीय वर्ष में भी आगणन प्राप्त होंगे जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु0 1000.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	अनावासीय भवन के निर्माण से कार्मिकों को बेहत्तर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा तथा अनावासीय भवनों के निर्माण से कार्मिकों को आवासीय सुविधा प्राप्त होगी।	मार्च, 2025
10	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज	यू0आई0आर0डी0पी0आर0 के आवासीय/अनावासीय भवनों की मरम्मत हेतु।	--	50.00	वित्तीय वर्ष 2022–23 संस्थान परिसर में अवस्थित अनावासीय	वित्तीय वर्ष 2023–24 में धनराशि रु. 101.00 लाख से आवासीय भवनों में	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परिसर की आन्तरिक सड़कों	संस्थान परिसर में अवस्थित अनावासीय एवं आवासीय भवनों की	मार्च, 2025

	संस्थान प्रशिक्षण की स्थापना				भवनों की मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई, जनरेटर सेड का निर्माण एवं परिसर की नालियों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य हेतु राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 50.00 लाख की धनराशि पूर्ण किये गये हैं।	शीलन निवारण, कक्षों में आन्तरिक मरम्मत एवं टाईल्स बिछाने का कार्य, बाह्य रंगाई-पुताई, एवं कार्यालय एवं मैस छात्रावास हेतु विद्युत आपूर्ति हेतु अवस्थित सौलर प्लान्ट में नई बैटरियों को स्थापित करना तथा कम्प्यूटर लैब के रखरखाव हेतु अनुरक्षण मद में ₹. 50. 00 लाख प्रावधान किया गया है।	की मरम्मत, फुटपाथ मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं आन्तरिक नालियों की कवरिंग, शीलन निवारण, रंगाई पुताई, फर्श की मरम्मत कार्य से भवनों का उचित रखरखाव होगा एवं संस्थान कम्प्यूटर लैब में कम्प्यूटरों को आधुनिक साप्टवेयरों से अपडेट कर उचित रखरखाव होगा।		
11	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के विभिन्न अधिकारियों एवं लिपिक/लेखा संवर्गीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	70.00	--	वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य से प्रशिक्षण हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 23 प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 820 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। प्राप्त धनराशि के व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि ब्याज सहित राज्य सरकार को समर्पण कर दी गयी।	31 मार्च, 2024 तक 40 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1315 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावानुसार अवमुक्त धनराशि से 45 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिसमें लगभग 1500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिफ़शर प्रशिओ, जलागम विकास सम्बंधी प्रशिक्षण एवं नयी योजनाओं के संचालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यालय प्रबन्धन एवं लेखांकन में ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि करना।	मार्च, 2025
12	मेरा गॉव मेरी सड़क	राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पलायन की रोकथाम, आजीविका उपलब्ध कराना तथा गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराना	--	1986.42	149 सड़कों में से 65 सड़कों पूर्ण कर ली गयी है तथा 62.80 किमी० सड़कों का निर्माण किया गया था। शेष सड़कों वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण कर ली जायेगी।	योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 29 नवम्बर 2023 तक कुल अवमुक्त धनराशि ₹० 5335.81 लाख के सापेक्ष माह नवम्बर 2023 तक ₹० 2745.38 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 185 सड़कों के सापेक्ष माह नवम्बर 2023 तक 65 सड़कों पूर्ण एवं 79 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है तथा 36 सड़कों का कार्य अभी अनारम्भ है एवं 5 सड़कों की धनराशि निदेशालय को वापिस की जानी है, जिसमें 63.05 किमी० सड़क निर्मित की गई हैं। शेष सड़कों पर माह मार्च, 2024 तक कार्य	योजनान्तर्गत प्रति विकासखण्ड 1–1 किमी की दो सड़क माहात्मा गौड़ी नरेगा के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से बनायी जायेंगी जिसकी 50 प्रति० धनराशि मनरेगा से एवं 50 प्रति० धनराशि मेरा गॉव मेरी सड़क से वहन किया जायेगा। योजनान्तर्गत लम्बाई 171.00 किमी० सड़क निर्मित करते हुये ₹. 10978.70 लाख राज्यांश की धनराशि एवं 19. 09 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेंगे।	सड़कों के निर्माण से एक ओर जहाँ स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा।	मार्च, 2025

						पूर्ण कर लिया जायेगा।			
13	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	राज्य सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्र अनुश्रवण परिषद हेतु मा० ० उपाध्यक्ष एवं उनके निजी स्टाफ के मानवेय/वेतन आदि के भुगतान हेतु।	20.00	—	—	—	—	—	मार्च, 2025
14	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत सब्सिडी	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसका नाम “इन्दिरा अम्मा भोजनालय” है उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जायेगी।	100.00	—	रु. 62.50 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गयी।	21 कैंटीनों के माध्यम से समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के 727030 थालियों वितरित की जायेगी	21 कैंटीनों के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा जिससे स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा। समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध होगा तथा स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा।	मार्च, 2025
15	रुरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना	रुरल बिजनेस इन्क्यूबेटर ग्राम्य विकास विभाग की एक अभिनव पहल है जिसके माध्यम से राज्य के ऐसे उद्यमी जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं अथवा अपने वर्तमान व्यवसाय को विस्तारित करना चाहते हैं तो ऐसे उद्यमियों को तकनीकी, व्यवसायिक, कानूनी सलाह, विपणन सहयोग आदि हेतु इन्क्यूबेटर के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाता है।	1000.00	—	योजना का आरम्भ वित्तीय वर्ष 2021 से किया गया योजनान्तर्गत 1 अप्रैल, 2023 तक कुल 1491 आवेदकों के आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से 533 इन्क्यूबेटीज का चयन किया गया एवं इन्हे इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया जायेगा। उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु 70 बिजनेस पार्टनर्स का चयन किया जायेगा। 130 से अधिक उद्यमिता विकास कार्यशाला आयोजित की जायेगी।	कुल 12000 आवेदकों के आवेदन प्राप्त किये जायेंगे जिसमें से 2000 इन्क्यूबेटीज का चयन कर इन्हे इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया जायेगा। उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु 35 बिजनेस पार्टनर्स चयनित किये गये। योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में 100 उद्यमिता विकास कार्यशालाएं आयोजित की गईं।	3000 इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेशन सहयोग सतत स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय वृद्धि, रैनव्यू जनरेशन, स्वरोजगार स्थापना, रोजार सूजन तथा उद्यम स्थापना में सहयोग प्रदान किया जायेगा, उद्यमियों को विपणन सहयोग (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) प्रदान किया जायेगा। वित्तीय सहयोग हेतु विभिन्न विभागीय योजनाओं से कनवर्जन्स।	इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेशन सहयोग सतत स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय वृद्धि, रैनव्यू जनरेशन, स्वरोजगार स्थापना, रोजार सूजन तथा उद्यम स्थापना में सहयोग प्रदान किया जायेगा, उद्यमियों को विपणन सहयोग (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) प्रदान किया जायेगा। वित्तीय सहयोग हेतु विभिन्न विभागीय योजनाओं से कनवर्जन्स।	02 वर्ष
16	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिह्नित 50 प्रतिशत से अधिक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	1000.00	—	योजनान्तर्गत 1 अप्रैल, 2023 तक कुल 664 कार्य पूर्ण कर लिये गये थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 488 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत 1195 कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।	पलायन प्रभावी गाँवों में पलायन रोकथाम हेतु आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को ससमय स्वीकृत कर योजना का कियान्वयन किया जायेगा।	पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने तथा वहां पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कार्ययोजनाओं का कियान्वयन करते हुये पलायन रोकथाम सुनिश्चित किया जायेगा।	01 वर्ष
17	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 09 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन	—	2000.00	सीमान्त विकास खण्डों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 तक किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत 172 कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।	सीमान्त विकास खण्डों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 किमी तक के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत संवर्धन एवं कौशल	सीमान्त विकास खण्डों (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 से 50 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल	01 वर्ष

		उपलब्ध कराते हुये सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना है। साथ ही रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य पोषित।			यथा—स्वास्थ्य, सड़क एवं पुलें, डीडब्ल्यूएस, शिक्षा, कृषि, खेलकूद गतिविधियाँ, सामाजिक क्षेत्र, मॉडल गॉव, एम०एस०एम०ई०, आदि सेक्टर सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2023 तक 204 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 194 कार्य पूर्ण कर लिये गये, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 75 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।		अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को ससमय स्वीकृत कर योजना का कियान्वयन किया जायेगा।	विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्वरोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	
20	एसएसजी उत्पादों का विपणन	राज्य स्तर पर एसएचजी एवं रेखीय विभागों की योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्रामीणों के स्तर से उत्पादित उत्पादों को बाजार एक ही उत्तरा ब्रॉण्ड से विपणन किये जाने हेतु।	400.00		—		राज्य स्तर पर एसएचजी एवं रेखीय विभागों की योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्रामीणों के स्तर से उत्पादित उत्पादों को बाजार एक ही उत्तरा ब्रॉण्ड से विपणन किये जाने हेतु राज्य स्तर पर एक एपेक्स बाड़ी का गठन करने तथा उसकी मार्केटिंग आदि कार्य का गठन।	—	मार्च, 2025
21	आईफैड(बाह्य सहायतित) ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना	The goal of REAP is to contribute to the doubling of income of rural households and reduce distress rural out migration.	15000.00	—	—	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना अन्तर्गत 226 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 2,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका वृद्धि परियोजना अन्तर्गत 2000 ग्राम संगठन के लाभार्थियों का चयन कर उन्हें कार्यभोज्य यंत्र प्रदान करना। 	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना अन्तर्गत 350 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के किसानों की आय अर्जक गतिविधियों से आच्छादन एवं क्षमता विकास परियोजना अन्तर्गत 2000 ग्राम संगठन के लाभार्थियों का चयन कर उन्हें कार्यभोज्य यंत्र प्रदान करना। 	परियोजना अन्तर्गत 350 कलस्टर लेवल फैडरेशन /आजीविका संघ के किसानों की आय अर्जक गतिविधियों से आच्छादन एवं क्षमता विकास	मार्च, 2025

					<p>गतिविधियों से जोड़ना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 500 युवाओं को ग्रामीण इन्कायूबेशन कार्यक्रम के माध्यम से उद्यम कौशल व क्षमता विकास आधारित गतिविधियों से जोड़ना। <p><u>रणनीति :</u> उपरोक्त गतिविधियों को आइफैड और उत्तराखण्ड शासन के वित्त सहयोग, रेखीय विभागों की योजनाओं से Convergence, उपासक द्वारा बैंक लिंकेज एवं लाभाधी Contribution एवं प्राइवेट संस्थाओं के सहयोग से कराया जाना।</p>	<p>प्रशिक्षण, शिक्षुता और मूल्य शृंखला उद्यमिता के माध्यम से स्थापित करने में सहयोग।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 11200 स्व-नियोजित उद्यमियों का आय अर्जक गतिविधियों में कौशल एवं क्षमता विकास और चयनित मूल्य शृंखला में उद्यम स्थापन/रोजगार ● 500 युवाओं को ग्रामीण इन्कायूबेशन के माध्यम से कौशल व क्षमता विकास एवं उद्यम स्थापना
--	--	--	--	--	--	---

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र. सं.	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2024 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25
1	2	3	4	5	6	8
1	दीनदयाल अन्त्योदय— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एन.आर.एल. एम.)	Goal-1 Sub-Goal (1.1) a) Household deprived (SECCs) (lakhs)—Rural- 4.34 Lakh b) Propotion of population deprived rural – ... Sub-Goal (1.2.1) a) No. of functional SHGs- 65358 b) No of credit Linked SHGs under NRLM - 30000 c) Proportion of population living below the State poverty line –	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 66358 ग्राम संगठन की स्थापना- 6744 कलस्टर लेबिल फैडरेशन- 417 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित- 2000 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड- 48937 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना- 30685 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज- 62308 उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 17 सरस सेन्टर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, .02 राज्य स्तरीय आउटलेट लखपति दीदी –40270	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 68000 ग्राम संगठन की स्थापना- 6923 कलस्टर लेबिल फैडरेशन- 470 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित- 2243 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड- 49094 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना- 32868 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज- 70000 उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 17 सरस सेन्टर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, .02 राज्य स्तरीय आउटलेट लखपति दीदी –90000	● स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 1500 ● ग्राम संगठन की स्थापना- 500 ● कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 60 ● आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित- 240 ● स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना- 1500 ● स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड- 12000 ● स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना- 8500 ● स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज- 25000 उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 06 ग्रोथ सेन्टर, 5 सरस सेन्टर, 10 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 01 राज्य स्तरीय आउटलेट ● लखपति दीदी –50000	42000 स्वयं सहायता समूहों के 2.5 लाख सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।
1.2	आजीविका (डे-एन.आर.एल. एम.)— स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	Goal-1 Enterprize establishment- 2750	● प्रथम चरण के विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। ● सी.आर.पी.ई.पी. चयन ● बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना ● 2171 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है। ● द्वितीय चरण के 02 विकासखण्डों में कार्य किया जायेगा व तृतीय चरण में 03 नये ब्लांक का चयन किया जायेगा।	● 2344 उद्यमों की स्थापना पूर्ण माह मार्च, 2024 तक 2750 उद्यम स्थापित किये जायेंगे।	● ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 05 द्वितीय व चरण के विकासखण्डों में। ● बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में।	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 3500
1.3	आजीविका (डे-एन.आर.एल. एम.)— महिला किसान	Goal-1 District-- 04 Block- 5000 Mahila kisan selection- 5000 Local group- 04 Kirshi shaki-294	प्रथम चरण के 04 विकासखण्डों में आर्गनिक फार्मिंग का कार्य	● 5000 महिला किसानों का चयन कर कार्य प्रारम्भ 412 कृषि एवं पशु सखी का चयन	● प्रथम चरण में 5000 महिला किसानों का प्रशिक्षण किया जायेगा ● 04 आर्गनिक कलस्टर तैयार	5000 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन किया जायेगा।

	सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	Pashu shaki-118			किये जाने का लक्ष्य है।	
2	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	Goal-1 Sub-Goal (1.1) c) No.of deprived HHs provided skill training programme	वित्तीय वर्ष 2023 तक 25000 युवक-युवतियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 20727 युवक- युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 01.04.2023 तक 15868 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराते हुए 7523 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है।	23000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा तथा 13800 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।	योजना को पूर्ण किये जाने की अवधि माह मार्च, 2024 है।	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक-युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत रूप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन किया जायेगा।
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	Goal-1 Sub-Goal (1.3) a) Percentage of active jobcard holding HHs getting employment under MGNREGS- 64.11% b) Avg. days of employment under MGNREGS- 41.20	206.73 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 5.02 लाख परिवारों के 6.82 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 20968 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेंगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।	मार्च, 2024 तक कुल 180.00 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेगे।	कुल 200.00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ₹ 766.67 करोड़ का व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 6.00 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 1.50 लाख कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन – लगभग 30000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	Goal-1 Sub-Goal (1.3) A आवास प्लस सूची के आधार पर वर्ष 2023–24 हेतु आवंटित लक्ष्य – 23870 1.Total target allotted from Awaas Plus list = 23870 2. Total sanction house out of available beneficiaries= 22727 3. Total house completed against sanction= 13256 (गत निर्माणाधीन आवासों को वर्ष 2023–24 में पूर्ण कराया गया) c) Percentage of rural HHs have pucca house 59%	18436 आवास निर्माणाधीन हैं	आवास प्लस सूची से प्राप्त वर्ष 2023–24 हेतु प्राप्त लक्ष्यों एवं गत निर्माणाधीन आवासों सहित कुल 41163 आवास पूर्ण किये जायेंगे।	आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सम्भावित लक्ष्य 6728 की पूर्ति की जायेगी।	आवास प्लस सूची की स्थाई प्रतीक्षा सूची मेंसम्मिलित पात्र ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
5	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना प्रोग्राम फण्ड की धनराशि	Goal-9 Sub-Goal (9.1) (a) 9.1 ग्रामीण मार्गों का भौतिक एवं सम्पर्क संयोजन मार्गों का निर्माण (किमी0) बसावटों का संयोजन (संख्या) 424 चालू सड़कें .. 570 किमी0 का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। (b) No. of Village link under PMGSY - 25	उक्त योजना के अन्तर्गत 905 किमी0 मार्गों का निर्माण किया गया तथा 28 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	1180 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण कर 25 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जायेगी।	1180 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की समस्त असर्योजित बसावटों को बारहमासी मार्गों से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।

6	रुरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स	Poverty elevation Gender Equality Decent work and economic growth	योजना का आरम्भ वित्तीय वर्ष 2021 से किया गया योजनान्तर्गत 1 अप्रैल, 2023 तक कुल 1491 इन्क्यूबेटीज के आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से 533 इन्क्यूबेटीज का चयन किया गया एवं इन्हे इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया गया। उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु 35 बिजेनेस पार्टनर्स चयनित किये गये। योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में 587 उद्यमिता विकास कार्यशालायें आयोजित की गईं।	कुल 12000 आवेदकों के आवेदन प्राप्त किये जायेंगे जिसमें से 2000 इन्क्यूबेटीज का चयन कर इन्हे इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया जायेगा। उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु 70 बिजेनेस पार्टनर्स का चयन किया जायेगा। .640 से अधिक उद्यमिता विकास कार्यशाला आयोजित की जायेगी।	3000 इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेशन सहयोग (विजेनेस प्रशिक्षण, बिजेनेस कार्ययोजना बनाना, विपणन सहयोग, मैट्सशिप सहयोग, विधिक सहयोग आदि) प्रदान करते हुये स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।	इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेशन सहयोग सत्र उपलब्ध कराकर उनकी आय वृद्धि, ऐवन्यू जनरेशन, स्वरोजगार स्थापना, रोजार सृजन तथा उद्यम स्थापना में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
1	आइफॉड(बाह्य सहायतित) ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 1 - End poverty; • SDG 2 - Zero hunger; • SDG 5 - Gender equality • SDG 13 - Combat climate change and its impacts. 	—	<ul style="list-style-type: none"> • 6000 अति गरीब 500 पशुसखी, मूल्य आधारित श्रृंखलों से जोड़कर 2691 परिवारों को Nano / Micro / Small उद्यम से जोड़कर आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित करना। • परियोजना अन्तर्गत 226 आजीविका संघ/ कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 2,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका वृद्धि • परियोजना क्षेत्र के 2,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कल्याण में वृद्धि, और अधिक सामाजिक रूप से न्यायसंगत और स्थायी समाज का निर्माण कर (gender mainstreame) में जोड़ना। • परियोजना क्षेत्र में 226 आजीविका संघ/ कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 2,50,000 परिवारों को Value chain based (VCB) गतिविधियों में Climate Smart Agriculture (CSA) से जोड़ना। 	<ul style="list-style-type: none"> • 3500 अति गरीब 500 पशुसखी, मूल्य आधारित श्रृंखलों से जोड़कर 2520 परिवारों को Nano / Micro / Small उद्यम से जोड़कर आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित करना। • परियोजना अन्तर्गत 350 आजीविका संघ/ कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 3,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका वृद्धि • परियोजना क्षेत्र के 3,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कल्याण में वृद्धि, और अधिक सामाजिक रूप से न्यायसंगत और स्थायी समाज का निर्माण कर (gender mainstreame) में जोड़ना। • परियोजना क्षेत्र में 350 आजीविका संघ/ कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 3,50,000 परिवारों को Value chain based (VCB) गतिविधियों में Climate Smart Agriculture (CSA) से जोड़ना। 	

			(VCB) गतिविधियों में Climate Smart Agriculture (CSA) से जोड़ना।		
--	--	--	--	--	--

